

डिक्री अपील
अज अदालत राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
 अपील डिक्री/टी.ए./2005/5938/जैसलमेर
 सम्वत बनारजी डिक्री भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर-जैसलमेर मु० जोधपुर
 मुबरिया 02/2005
 निर्णय दिनांक 08/09/2005

वादी	प्रतिवादी
1- शिवदानसिंह पुत्र गोरधनसिंह 2- श्रीमती फूल कंवर विधवा स्व० श्री मूलसिंह 3- हुकमसिंह पुत्र स्व० श्री मूलसिंह 4- दलपत सिंह पुत्र स्व० श्री मूलसिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी उण्डा, तहसील फतेहनगर, जिला जैसलमेर - अपीलांट्स	1- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर 2- शोभसिंह पुत्र श्री मूलसिंह 3- कानसिंह पुत्र मूलसिंह - रेस्पोंडेण्ट्स


अपील हाजा बिनावर समाअत बतारीख 19-12-2024 रूबरू

1. श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
2. श्री रामदयाल मीणा, सदस्य


मिनजानिब अपीलांट

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
 अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
 श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति० राजकीय अभिभाषक रेस्पो० सं 3

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत हस्तगत दोनों अपीलें क्रमशः अपील संख्या अपील डिक्री/टीए/5981/2005/जैसलमेर बउनवान शिवदान सिंह व अन्य बनाम राज. सरकार व अन्य तथा अपील संख्या अपील डिक्री/टीए/5938/2005/जैसलमेर बउनवान शिवदान सिंह व अन्य बनाम राज. सरकार खारिज की जाती है तथा भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर-जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08/09/2005 यथावत रखा जाता है।


 (रामदयाल मीणा)
 सदस्य

राजस्व मण्डल राजस्थान
 अजमेर



(हेमन्त कुमार गेरा)
 अध्यक्ष

राजस्व मण्डल राजस्थान
 अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./2005/5938/जैसलमेर

	वादी	प्रतिवादी
खर्चा अपील हाजा मुन्फसला जैल मुबलिंग	24	00
खर्चा अदालत अपील अव्वल मुबलिंग	00	00
खर्चा मुकद्मात इब्तदाई मुबलिंग	00	00

और बतारीख 02/01/2025 ई बसिबत हमारे दस्तखत और मुहर अदालत से जारी हुआ।

अपीलान्ट	रुपये	पैसे	रेस्पोंडेण्ट	रुपये	पैसे
1- कागज स्टाम्प	07	00	1- कागज स्टाम्प	00	00
2- कागज स्टाम्प वकालतनामा	03	00	2- कागज स्टाम्प वकालतनामा	00	00
3- फीस तलबाना	04	00	3- फीस तलबाना	00	00
4- महनताना वकील	00	00	4- महनताना वकील	00	00
5- मुतफरिकात	00	00	5- मुतफरिकात	00	00
6- नकल अदालत	10	00	6- नकल अदालत तहत	00	00
मीजान	24	00	मीजान	00	00

(अक्षरे चौबीस रुपये)

(अक्षरे शून्य रुपये)